न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 146/19 (वाद)
GCMS No. : 2019/00340

अनवान

1. समस्त ग्रामवासीयान ग्राम बेमाला जरिए वाद मित्र श्री लोगरलाल पिता कालु डांगी निवासी बेमाला तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री मांगीलाल पिता देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री कालुलाल पिता देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री उदा पिता देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री हितेष पिता स्व० पप्पु जी जाति भील, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जमनीबाई पत्नी स्व० पप्पु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पुजा पुत्री जमनीबाई स्व० पप्पु जी जाति भील, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती पत्नी स्व० पप्पु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. दुर्गा पुत्री स्व० पप्पु जी जाति भील, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जमनीबाई पत्नी स्व० पप्पु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्री रोशन पिता स्व० पप्पु जी जाति भील, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जमनीबाई पत्नी स्व० पप्पु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. श्रीमती जमनीबाई पत्नी स्व० पप्पु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

9. भुरीबाई पुत्री देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. श्रीमती फुलीबाई पत्नी देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. पटवारी, पटवार हल्का गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री बाबुलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2

वाद अन्तर्गत वास्ते खातेदारी घोषणा, शुद्धि कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 28.11.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तुलसीदासजी की सराय, पटवार हल्का गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 454 कुल किता 1 रकबा 0.10 दस बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम हिस्सानुसार अंकित है।
2. यह कि राजस्व ग्राम मोतीखेड़ा का एक मजरा बेमाला है जहां पर विगत 100 से अधिक वर्षों से कई घरों की आबादी बसती है इस गाँव में जाने के लिऐ उदयपुर चित्तौडगढ़ नेशनल हाईवे के उत्तर दिशा में स्थित प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की खातेदारी की आराजी नम्बर 454 रकबा 10 बिस्वा में रास्ता स्थित है जिसका उपयोग उपभोग विगत 100 से अधिक वर्षों से गांव बेमाला के निवासीयान एवं आम जनता गांव बेमाला में आने–जाने एवं संसाधनों, वाहनों को लाने ले जाने के उपयोग करते आ रहे है तथा सरकारी मद से इस रास्ते को डामरीकृत किया हुआ है। लेकिन वर्तमान में उक्त रास्ता रेवेन्यु रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम पर अंकित है इसलिये इस भूमि को रेवेन्यु रेकर्ड में किस्म रास्ता एवं राज्य सरकार के नाम पर अंकित कराने हेतु दिनांक 26.09.2019 को ग्रामवासीयान बेमाला द्वारा मुझे वादी को अधिकार पत्र प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

कर अधिकृत किया गया है और इसी अधिकार के तहत मुझ वादी की और से यह वाद पत्र माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. यह कि वाद पत्र में वर्णित भूमि का विगत 100 से अधिक वर्षों से गांव बेमाला के निवासीयान एवं आम जनता द्वारा गांव बेमाला में आने–जाने के लिये उपयोग उपभोग किया जा रहा है लेकिन उक्त भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम पर दर्ज है जिनके द्वारा अथवा इनके पूर्वजों द्वारा कभी भी इस जमीन पर कृषि कार्य नहीं किया गया है और न ही इस भूमि पर इनका कभी कोई कब्जा उपयोग उपभोग ही रहा है तथा इस आराजी का कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा था और कुलिया 6 बीघा 4 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पूर्वज खातेदार देवा पिता रता भील द्वारा बाबुलाल पिता रामलाल गमेती (भील) को बेचा गया था लेकिन रेवेन्यु एजेन्सी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस भूमि में बेमाला जाने–आने का मार्ग का था जिस कारण विक्रेता के नाम पर नामान्तरकरण की कार्यवाही करते समय पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 407 के कॉलम संख्या 16 में टिप्पणी अंकित की गई कि मौके पर इसी आराजी से बेमाला जाने का रास्ता है जो दिवार से बाहर छोड़ा हुआ है। इसके साथ ही उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय नामान्तरकरण स्वीकृति करने वाले अधिकारी द्वारा टिप्पणी अंकित की गई कि ट्रेस के अनुसार 10 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए छोड़ते हुए कुल 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर कब्जा नहीं होने से कब्जा रहित क्षेत्रफल को छोड़कर नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है। इस तरह राजस्व रेकर्ड में रेवेन्यु एजेन्सी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अंकित की गई टिप्पणी से भी स्पष्ट प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम अंकित कुलिया भूमि रास्ते के रूप में ही सदीप से उपयोग की जा रही है और इस भूमि पर कभी भी अंकित खातेदारान का कब्जा अधिकार न तो पहले रहा है और न ही वर्तमान में है और विभिन्न मदों से इस आराजी पर सार्वजनिक डामर रोड़ का निर्माण भी किया जा चुका है। इसलिये मैं वादी जनहित एवं न्यायहित में वाद पत्र में वर्णित कुलिया भूमि को राज्य सरकार (बिलानाम) के नाम पर अंकित कराने एवं किस्म रास्ता अंकित कराने की घोषणा कराने का अधिकारी हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2024.12.18 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया [illegible] ला है। क्योंकि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर कभी भी प्रतिवादी संख्या [illegible] से 10 या इनके पूर्वजों का कोई

कब्जा अधिकार नही रहा है और न ही वर्तमान में है और न ही इस भूमि पर कृषि कार्य किया गया है। उक्त भूमि का प्रारम्भ से ही बेमाला गांव में जाने के लिए गांववासीयान एवं आमजन द्वारा उपयोग उपभोग किया जाता रहा है और इस भूमि मौके पर कृषि भूमि न होकर रास्ता होने की पुष्ठि भी रेवेन्यु अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई है लेकिन वर्तमान उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होने से ये लोग उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा ये लोग कभी भी लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर इस भूमि को बिकाव कर खुर्द बुर्द कर सकते है। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 वाद पत्र में वर्णित आराजी को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, ग्रामवासीयान एवं आमजन को इस भूमि पर बने मार्ग से शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे, अपने संसाधनों एवं वाहनो को लाने ले जाने देवे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करे, नुकसान नहीं पहूंचावे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम वादीगण को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में है।

5. यह कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 द्वारा इस आम रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द कर दी जावेगी तो गांव बेमाला में आने जाने के मुख्य मार्ग को क्रेता अनाधिकार रूप से बन्द कर देगे और इससे ग्रामवासीयान एवं आमजन के जायज हक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा तथा भारी असुविधा एवं क्षति होगी और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरित होगा। जबकि इस भूमि को बिलानाम सरकारी भूमि अंकित कर किस्म रास्ता दर्ज किये जाने से एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को किसी भी प्रकार की असुविधा या क्षति नहीं होगी क्योंकि आज भी इस जमीन का उपयोग बेमाला वासीयों एवं आमजन द्वारा रास्ते के रूप में ही किया जा रहा हैं।

6. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण वाद कारण दिनांक 26.09.2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को मुझ प्रार्थी एवं ग्रामवासीयान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rupadia
Date: 2024.12.18 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा उक्त भूमि रेवेन्यु रेकार्ड में किस्म रास्ता एवं बिलानाम सरकार अंकित कराने हेतु कहा गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने साफ इन्कार कर दिया और उक्त रास्ते की भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादपत्र में वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के बजाय बिलानाम सरकार घोषित फरमाई जावे और उक्त भूमि किस्म रास्ता घोषित फरमाई जावे और इसी अनुसार नाम एवं किस्म राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे और प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का नाम हटाया जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 वाद पत्र में वर्णित आराजी को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, ग्रामवासीयान एवं आमजन को इस भूमि पर बने मार्ग से शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे, अपने संसाधनों एवं वाहनों को लाने ले जाने देवे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें, मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 11 से 13 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद प्रतिवादी संख्या 11 से 13 दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करे, रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 उक्त भूमि को हस्तान्तरित कर देवे अथवा मौके या राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करा देवे तो पुनः वाद संस्थिति की स्थिति रखाई जावें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 3 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल डांगी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाबदावा पेश नहीं कर सीधे बहस सुने जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपनी बहस में वादी के वाद को स्वीकार किये जाने पर मौखिक सहमति देते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि को बिलानाम रास्ता घोषित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं हैं।

10. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली हाल तुलसीदास जी की सराय तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 67 पर दर्ज आराजी नम्बर 454 रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय होकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि में मौके पर सडक निर्मित होकर लगभग 100 वर्षों से अधिक ग्राम बेमाला के निवासियान एवं अन्य आमजन के लिए आने जाने के रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को बाबुलाल पिता रामलाल भील को बेचा था तत्समय भी पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण में उल्लेख किया गया था कि मौके पर इसी आराजी से बेमाला जाने का रास्ता है जो दिवार से बाहर छोडा हुआ है 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर कब्जा नहीं है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके के फोटो ग्राफ्स पेश किये गये, जिसमें मौके पर सडक निर्मित है तथा वादग्रस्त भूमि के नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने पर भी उक्त भूमि रास्तेनुमा आकृति प्रतीत होती हैं। उपरोक्त तथ्यों से यह तो सिद्ध होता है कि वादग्रस्त भूमि में मौके पर सडक निर्मित होकर बेमाला जाने का रास्ता है जो आमजन के उपयोग उपभोग में आता हैं, जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज होकर किस्म बारानी तृतीय अंकित हैं।

इस प्रकार मौके पर बने वर्षों पुराने रास्तो के सम्बन्ध में **राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 3(2)राज.–6 / 2003 / पार्ट, जयपुर, दिनांक 10.08.16 के बिन्दु संख्या 1 में अंकित समाधान के पैरा का यहां उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है कि ''राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय भूमि और / या निजी भूमि में से चालू हैं किन्तु इनका अंकन**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Runadia
Date: 2024.12.18 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं हैं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम, 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानुसार किया जायेगा। यहाँ पक्षकार को इस निमित्त नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी-31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू-अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थना-पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश के आधार पर नामान्तरकरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी।''

इसी प्रकार पुनः राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग क्रमांक प. 3(17)राज.-6/2021/पार्ट/91 जयपुर, दिनांक 30.09.2022 को परिपत्र जारी कर परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 के पैरा नम्बर 2 का यहां उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है कि ''जहां खातेदार द्वारा रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को राजहीत में समर्पण करने से मना किया जावे उस प्रकरण में रास्ते में काम आ रही भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे परन्तु उसे काश्तकार की खातेदारी में ही रहने दिया जावे।'' इस प्रकार इस वाद में भी वादग्रस्त भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं जो पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 407 के कॉलम संख्या 16 में की गई रिपोर्ट एवं मौके के फोटो ग्राफ्स से स्पष्ट हैं साथ ही वादग्रस्त भूमि पर मौके पर रास्ता होने से तथा प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं होने के कारण उक्त भूमि का विक्रय करने के पश्चात् भी पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण नहीं पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी वादग्रस्त भूमि को बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाना चाहता हैं परन्तु उपरोक्त परिपत्रों के आधार पर केवल मात्र किस्म गैर मुमकिन रास्ता की जा सकती है जबकि भूमि खातेदार के नाम ही रहेगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली हाल तुलसीदास जी की सराय तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2072—75 के खाता सं. 67 पर दर्ज आराजी नम्बर 454 रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय दर्ज है, के बजाय किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं **साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आमजन को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके तथा रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।** शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. समस्त ग्रामवासीयान ग्राम बेमाला जरिए वाद मित्र श्री लोगरलाल पिता कालु डांगी निवासी बेमाला तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री मांगीलाल पिता देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री कालुलाल पिता देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री उदा पिता देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री हितेष पिता स्व० पप्पु जी जाति भील, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जमनीबाई पत्नी स्व० पप्पु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पुजा पुत्री जमनीबाई स्व० पप्पु जी जाति भील, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती पत्नी स्व० पप्पु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. दुर्गा पुत्री स्व० पप्पु जी जाति भील, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जमनीबाई पत्नी स्व० पप्पु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्री रोशन पिता स्व० पप्पु जी जाति भील, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जमनीबाई पत्नी स्व० पप्पु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. श्रीमती जमनीबाई पत्नी स्व० पप्पु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. भुरीबाई पुत्री देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested

10. श्रीमती फुलीबाई पत्नी देवा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी तुलसीदासजी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. पटवारी, पटवार हल्का गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत वास्ते खातेदारी घोषणा, शुद्धि कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा न0 : 146/19 (वाद)
GCMS No. : 2019/00340

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली हाल तुलसीदास जी की सराय तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2072–75 के खाता सं. 67 पर दर्ज आराजी नम्बर 454 रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय दर्ज है, के बजाय किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं **साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आमजन को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके तथा रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।** शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:51:55 IST
Reason: SelfAttested